

6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....  
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार  
सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- ...../7 (5)...../रा0, पटना-15, दिनांक :- .....17-05-17.....  
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),  
सरकार के अपर सचिव।

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु कुल 14,01,600/- (चौदह लाख एक हजार छः सौ) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिहार भूमि न्यायाधिकरण के पत्र संख्या-169 वि0भू0न्या0 दिनांक-05.05.2017 के आलोक में बिहार भूमि न्यायाधिकरण में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन भुगतान हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्रथम चार महीनों के लिए राशि निम्नलिखित रूप से इकाईवार आवंटित की जाती है:-

क्रम सं0	कोड नं0	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	0001.01.01	वेतन	195600
2	0001.01.03	जी0 या0 भत्ता	258300
3	0001.01.04	मकान किराया भत्ता	14500
4	0001.01.05	परिवहन भत्ता	6800
5	0001.01.06	चिकित्सा भत्ता	1600
		वेतन एवं भत्ते का योग	476800
6	0001.11.01	यात्रा व्यय	10000
7	0001.28.02	संविदा सेवाएँ	914800
		कुल योग	14,01,600

(चौदह लाख एक हजार छः सौ) रुपये मात्र।

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में यात्रा व्यय, एवं संविदा सेवाएँ मदों में मितव्ययिता बरती जाय।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

कृ0पृ0उ0